संख्याः– /XVII-3/15-07(29)/2015

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2015

विषय–प्रदेश में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–217, दिनांक 27.01.2014 की अधिसूचना द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर तथा सचिव, समाज कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2756/स.क./2003–411(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 07 अक्टूबर, 2003 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण इन प्रमाण पत्रों को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है और इस समुदाय के व्यक्तियों को व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अस्तु इस सम्बन्ध में उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.–4–3/ 2015-N.S.C.M., दिनांक 18 मई, 2015 एवं पत्र संख्या–F.No.–2/37(2)/2014 S.S. दिनांक 22.08.2014 (छायाप्रतियां संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–345, दिनांक 22 जून, 2015 द्वारा की गई संस्तुति पर विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिसूचित जैन समुदाय सहित अन्य समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध एवं पारसी) को अखिल भारतीय स्तर पर मान्य अल्पसख्यक प्रमाण–पत्र (Minority Certificate) जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ मुख्यालय में वरिष्ठ उप जिलाधिकारी को नामित करते हुए अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत करेंगे। कृपया, उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

संख्याः– 957 (1)/XVII-3/15-(29)/2015 : तद्दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, गढ़वाल पौड़ी एवं कुमायू, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण, अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
अनु सचिव।

Minority/Letter 2015-16 A S R